



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934

No. 273]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

चण्डीगढ़, 27 नवम्बर, 2012

सं. पी.जी.आई./इ3/2012/1719.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, विनियम, 1967 में निम्नानुसार संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं; अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधित) विनियम, 2012 के नाम से जाना जाएगा।
- (2) ये 8-6-2012 से प्रवृत्त होंगे।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, विनियम, 1967 में निर्दिष्ट विनियम 11(14) में निम्नानुसार संशोधन कर दिया गया है :

“वरिष्ठता के क्रम में संस्थान द्वारा क्रमावर्ती वार्षिक रूप से वरिष्ठ ग्रेड में संस्थान के दो प्राचार्य नामित।”

संस्थान के प्राधिकारी द्वारा

योगेश चावला, निदेशक

[विज्ञापन III/4/86/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा.का.नि. संख्या 571 दिनांक 18-4-1967 तथा निम्नलिखित संशोधित संख्याओं द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित।

- भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.54/69-एम.ई.-पी.जी.आई. दिनांक 24-2-70
- भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.56/69-एम.ई.-पी.जी.आई. दिनांक 26-3-70
- भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11-3-74
- पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ.3/एन.एफ. 8(1)-76. दिनांक 18-5-76
- सा.का.नि. अधिसूचना संख्या इ.1(1)-पी.जी.आई.-76 दिनांक 14-9-76
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/1/77-एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 9-5-78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या इ.3/एन.एफ/78 दिनांक 18-5-78

7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/1-82-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 23-3-1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 15-6-84.
8. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./7(2), 80 दिनांक 15-6-84
9. पी.जी. आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./84-6804 दिनांक 15-6-84
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/3/84-एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 17-12-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./84/74438 दिनांक 26-12-84
11. भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-84
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या वी.17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 13-9-85
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 17-10-85 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./85-61505 दिनांक 17-10-85
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी-17011/2/88 एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 9/16-8-89 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 3/एन.एफ. /7(2)/88 दिनांक 12-9-89
15. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 31/2-टी.आर.जी.-68/4476-4527 दिनांक 23-1-96
16. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एफ.सी.आई. (10)/1101 दिनांक 5-5-97
17. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-98 सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(इ) पी.जी.आई-एम.ए.-98/31599 दिनांक 30-11-98
18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152 (अ) पी.जी.आई. एम.ए.-99/4795 दिनांक 24-2-99
19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17020/24/95-एम.ई. (पी.जी.)/एम.ई.-डैस्क-2 दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./722 दिनांक 22-3-2001
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/5/2000-एम.ई.(पी.जी.) दिनांक 12-3-2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ2/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./4990 दिनांक 30-3-2001
21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/21/2000-एम.ई.(पी.जी.) (भाग-II) दिनांक 15-5-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2002/2748 दिनांक 10-6-2002
22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17020/48/2000-एम.ई. डैस्क.-II, दिनांक 8-7-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/2002/4056 दिनांक 30-7-2002
23. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/84/2005-एम.ई.-II, दिनांक 21-11-2005 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2005/7587 दिनांक चण्डीगढ़ 21-11-2005
24. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/10/2008-एम.ई.-II, दिनांक 15-6-2007 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2007/2567 दिनांक 13-7-2007
25. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/10/2008-एम.ई.-II, दिनांक 18-11-2008 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2008/2694 दिनांक 15-12-2008
26. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/15/2009-एम.ई.-II, दिनांक 15-7-2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2009/1962 दिनांक 22-8-2009
27. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/14/2009-एम.ई.-II, दिनांक 2-12-2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2009/2673 दिनांक 23-12-2009

POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH

NOTIFICATION

Chandigarh, the 27th November, 2012

F. No.PGI/E3/2012/1719.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966 (51 of 1966), the Postgraduate Institute of Medical

Education and Research, Chandigarh with the approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, nemely :—

1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (amendment) Regulations, 2012.
- (2) They shall deemed to have come into force with effect from 8-6-2012.
2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, Regulation 11(14) of the PGIMER, Chandigarh, the following shall be amended and replaced :—
“Two Professors of the Institute in the Senior Grade by rotation nominated annually by the Institute in order of seniority.”

By the Authority of the Institute,
YOGESH CHAWLA, Director
[ADVT. III/4/Exty./86/12]

Foot note : Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 571, dated 18-4-1967 and amended *vide* nos.

1. GOI Notification No. E1.54/69 ME-PGI dated 24-2-70
2. GOI Notification No. 1.56/69 ME-(PG) dated 26-3-70
3. GOI Notification dated 11-3-74
4. PGI Notification No. F. 3/NF 8(i)-76 dated 18-5-76
5. GSR Notification No. EI (1)-PGI-76 dated 14-9-76
6. GSR Notification No. E3/NF/78 dated 18-5-78 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/1/77-ME(PG) dated 9-5-78.
7. PGI Notification No. dated 15-6-84 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/1/82-ME(PG) dated 23-3-1984.
8. PGI Notification No. E3/NF/7(II), 80 dated 15-6-84.
9. PGI Notification No. E3/NF/84-6804 dated 15-6-84.
10. PGI Notification No. E3/NF/84/74438 dated 26-12-84 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/3/84-ME(PG) dated 17-12-1984.
11. PGI Notification No. 26-12-84 with the approval of GOI.
12. GOI MOHFW Notification No. V. 17011/4/85-ME(PG) dated 13-9-85.
13. PGI Notification No. E3/NF/85/61505 dated 17-10-85 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V-17011/4/85-ME(PG) dated 17-10-1985.
14. PGI Notification No. E3/NF/7(ii) /88 dated 12-9-1989 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/2/88-ME(PG) dated 9/16-8-1989.
15. PGI Notification No. 31/2-Trg.-68/4476-4527 dated 23-1-96.
16. PGI Notification No. E3/FCI(10)/1101 dated 5-5-97.
17. Notification No. GSR 715(E)-PGI-MA-98/31599 dated 30-11-98 with Central Government approval dated 30-11-98.
18. Notification No. G.S.R. 152(E) PGI-MA-99/4795 dated 24-2-1999 with the approval of GOI *vide* MHFW letter dated 23-2-1999.
19. PGI Notification No. E3/NF/2001/PGI/722 dated 22-3-2001 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17020/24/95-ME(PG)/ME Desk-II dated 12-3-2001.
20. PGI Notification No. E2/NF/2001/PGI/4990 dated 30-3-2001 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17020/5/2000-ME (PG) dated 12-3-2001.

21. PGI Notification No. E3/PGI/2002/2748 dated 10-6-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V. 17020/21/2000-ME (PG) (Part-II), dated 15-5-2002.
22. PGI Notification No. E3/PGI/2002/4056 dated 30-7-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V. 17020/48/2000-ME Desk-II, dated 8-7-2002.
23. PGI Notification No. E3/PGI/2005/7587 dated Chd. 21Nov., 2005 with the approval of GOI MOH&FW, letter No. V.17020/84/2005-ME-II, dated 21-11-2005.
24. PGI Notification No. E3/PGI/2007/2567 dated 13-7-2007 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V. 17020/10/2008-ME-II dated 15-6-2007.
25. PGI Notification No. E3/PGI/2008/2694 dated 15-12-2008 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V. 17020/10/2008-ME-II dated 18-11-2008.
26. PGI Notification No. E-3/PGI/2009/1962 dated 22-8-2009 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V. 17020/15/2009-ME-II dated 15-7-2009.
27. PGI Notification No. E3/PGI/2009/2673 dated 23-12-2009 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V. 17020/14/2009-ME-II dated 2-12-2009.